न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 39 / 2017 (राजसमन्द डिक्री)

लहरू पिता उम्मेदा जी जाट, निवासी लड़पचा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मोती पिता हरलाल जी जाट, निवासी लड़पचा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दि॰
15–06–2015 प्रकरण सं. 116 / 2010

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एस.के. मेहता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 16–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वादी द्वारा अपीलान्ट व सरकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लड़पचा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 14 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। वादी के दादा कुशाल जी व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा रामचन्द्र जी सगे भाई थे। कुशाल जी के दो लड़के भूरा व हरलाल हुए। भूरा लाऔलाद फोत हो गया और हरलाल का वादी एक मात्र पुत्र है। रामचन्द्र जी के उम्मेदा व उम्मेदा का प्रतिवादी

संख्या 1 एक मात्र पुत्र है। उक्त भूमि मौरूसी होकर वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से आपसी सहमति से विभाजन कर लिया एवं उसी अनुसार काबिज हैं। उक्त भूमि के नये नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार बने हैं। भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों से गलती से आराजी नंबर 1668 प्रतिवादी के पिता के नाम अंकित कर दी, जिसका वादी को ज्ञान नहीं हो सका। वादी ने निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 4 (अ) में अंकित आराजियात चाह नंबर 1611 वादी के स्वत्व की घोषित करायी जाकर राजस्व अभिलेख में उसके अलग खाते अंकित करायी जावे तथा पूर्व में हुए सहमति विभाजन के आधार पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02–06–2014 को विस्तृत निर्णय पारित करते हुए वादी का घोषणात्मक वाद अस्वीकार कर मात्र विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के बाद दिनांक 15–06–2015 को लोक अदालत में प्रकरण को रखकर वादी/ रेस्पोन्डेन्ट की उपस्थिति में तथा उसे सुनकर अंतिम डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–06–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होंने अंतिम डिक्री पारित होने से अनभिज्ञता जाहिर की तथा अपीलान्ट को कोर्ट से पता करने को कहा, तो प्रार्थी/अपीलान्ट ने अन्य अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकलें निकलवाई, जो दिनांक 02–06–2016 को उसे प्राप्त हुई तथा जानकारी होते ही तुरन्त अपील पेश कर दी। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र तथा न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस. के. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सरकार औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता

उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सिद्धान्तों व कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने तथा बिना सूचित किये निर्णय पारित किया गया है तथा विभाजन योजना अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में बिना उसे सुने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मिली भगत से तैयार करवायी गयी है। विभाजन योजना में अपीलान्ट को चाही व बारानी भूमि 5 बीघा 2 बिस्वा दी गयी है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट के हिस्से में चाही व बारानी भूमि 9 बीघा 14 बिस्वा रखी गयी है। विभाजन योजना देखने से ही जाहिर है कि उक्त विभाजन योजना केवल मात्र पटवारी एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने तैयार की है, जो गलत है। विभाजन योजना दिनांक 20–04–2014 को अपीलान्ट को बिना सूचना दिये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मिली भगत से तैयार की गयी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–06–2014 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के समय अपीलान्ट को सूचित किये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव भी तहसीलदार के स्थान पर पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में दिनांक 15–06–2015 को रखा, जिसमें अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है तथा वादी की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध

है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में विभाजन योजना तैयार की जावे तथा उभयपक्षों की यदि कोई आपत्तियां है तो उन्हें सुनकर विधि पूर्वक प्रकरण का निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जावे।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–03–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

माना पिता परसा जी गुजर, निवासी आगलगांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द बनाम **मोहन पिता छग्गु जी गुजर, निवासी आगलगांव, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं॰.....**313 / 2009**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....17**.....माह.....**12**.....**2008**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**08**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री संजय बोहरा**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री कन्हैयालाल चोर्डिया**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2008 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**08**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।